



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | ARWAL  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



संग्रह में

अध्ययन / हथात्मक / प्रबंधक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्प्यूनिटी सेंटर ०

**विवर :-** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम  
11 के उपनियम के अनुरूप विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महासंघ,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 11-09-2021 और उसके बाद में आपसे किये गये प्राप्ताधार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय ARYAN HERITAGE .. SOHSA, SOHSA, 824127 . कक्षा १ से ८ तक संचालन हेतु तीन वर्ष 11-09-2021 से 11-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अभीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा ८ तक की सीमा के बाहर माल्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-१) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-२) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल शास्त्रों का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने ३ करेगा। पढ़ोंस के कलजौर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका ३ में उद्दृष्ट बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे : :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधारों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा १ में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसंग्रहों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधारों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृष्ट मानदंडों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 2.32

SK

(iii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 2.32

(iv) खेल के मैदान के क्षेत्र :- CLASS ROOM, ADMIN, STAFF ROOM, LIBRARY, AUDIO VIDEO VISUAL ROOM, COMPUTER, WASHROOM  
LAB ETC

(v) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 12

(vi) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय साह-भंडार कक्ष :- 6

(vii) भारतीय वासिकाओं के लिये अत्यन्त शीघ्रतया :- Indian , Boys :- 5 , Girls 5

(viii) प्रेमजल की सुविधा :- 12

(ix) सप्त्याहन भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(x) बाजारहित पहुँच, :-

(xi) शिक्षण अधिनाम सामग्री/ खेल-कुट उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- WHITE BOARD, LEARNING MATERIAL-SMART CLASS, GLOBE, MAP, ABACUS, MUSICAL INSTRUMENT ETC , BAT, BALL, VOLLEY BALL, HAND BALL, KABBADI, BADMINTON, FOOTBALL , ( Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 10 )

11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन उथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्राथमिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाल के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेशण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति पत्रिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आर्डिनेट प्रस्तीकृति कोड संख्या [ 24315432021311151322, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रशायार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाप्त "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय राज्यालय से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समाप्त पर निर्भत अनुदेश का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. मदि सोसाइटी के नियंत्रण के नीतोंकरण की किसी घटना की जावश्यकता है तो उसे चुनिशित किया जाए।

19. अनुलम्बक (i) के रूप में संलग्न अन्य शर्त

21/10/22  
विद्यालय  
राज्य सरकार  
हो/-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ARWAL  
सह-सचिव प्रस्तीकृत समिति  
शिक्षा विभाग , रिहार सरकार